

5/10/20 पत्रावली पेश हुयी वकील पत्रावली उप.

बिना नोटा रिपोर्ट है  
पत्रावली दिनांक 26/11/25 को पेश हो

उपस्थित अधिकारी  
अरांड

7/11/25 पत्रावली पेश हुयी वकील द्वारा उप. पत्रावली  
बदल हेतु दिनांक 26/11/25 को पेश हो

26/11/25 पत्रावली पेश हुयी वकील द्वारा उप. पत्रावली  
बदल हेतु दिनांक 26/11/25 को पेश हो

14/11/26 पत्रावली पेश हुयी वकील द्वारा उप. पत्रावली  
बदल हेतु दिनांक 14/11/26 को पेश हो

पत्रावली पेश हुयी वकील द्वारा उप. पत्रावली

26/11/25

26/11/25

26/11/25

पत्रावली पेश हुयी वकील द्वारा उप. पत्रावली

पत्रावली पेश हुयी वकील द्वारा उप. पत्रावली

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम( अराई) अजमेर

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

वाद क्रमांक 23/2025

1. श्योजी पुत्र छीतर आयु बालिग जाति जाट
  2. रामदेव पुत्र छीतर आयु बालिग जाति जाट
  3. शंकर पुत्र छीतर आयु बालिग जाति जाट
  4. काना पुत्र हगामा आयु बालिग जाति जाट
  5. गंगा पुत्री हगामा आयु बालिग जाति जाट
  6. दाखा पत्नी हगामा आयु बालिग जाति जाट
- सर्वनिवासीगण ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र नाथू जाति जाट
  2. सन्तोष पत्नी नाथू जाति जाट
  3. नाराज पुत्री नाथू जाति जाट
  4. बर्हमा देवी पुत्री नाथू जाति जाट
  5. मन्दराज पुत्री नाथू जाति जाट
- सर्वनिवासीगण गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर (राज०)
6. राज्य सरकार जयें तहसीलदार साहब अंराई जिला अजमेर (राज०)

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 14/11/26...

उपस्थित: वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्रसिंह

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री विजेन्द्रसिंह के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ग्राम गोठियाना तहसील अंराई जिला अजमेर (राज०) के निवासी है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम गोठियाना के खाता संख्या नया 258 खाता संख्या पुराना 216 खसरा संख्या 246 रकबा 3.7214 हैक्टेयर का 1/18 हिस्सा निहित है, खसरा संख्या 272 रकबा 2.2976 हैक्टेयर भूमि खातेदारी में स्थित है। उक्त भूमि की पिलाई खसरा संख्या 246 व 247 से होती है। अप्रार्थीगण 1 से 5 की भूमि ग्राम गोठियाना के खाता संख्या नया 256 खाता संख्या पुराना 214 खसरासंख्या 251 रकबा 9.2873 गै.मु. पहाड खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 246 नाडा, खसरा 247 नाडे की पाल का पानी खसरा संख्या 251 रकबा 9.2873 गै. मु. पहाड के मध्य होकर मोरी द्वारा जाता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 272 में पिलाई के लिये खसरा संख्या 251 रकबा 9.2873 हैक्टेयर भूमि में 3 फीट गहराई पर पाईप डालकर खसरा संख्या 272 की भूमि की पिलाई करना चाहता है। उक्त खसरा संख्या 251 में पहले मोरी दर्ज थी पानी ले जाने के लिए, वर्तमान मोरी के निशान मामूली है। प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 246 व 247 का पानी खसरा नम्बर 251 जो अप्रार्थीगण की भूमि में ले जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई नुकसान व हॉनि नही होती है। उक्त निकटतम व सुलभ है जो नजरी नक्शा पेश कर रहे है जो लाल स्याही से दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। उक्त स्थान से प्रार्थीगण को पानी ले जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि के कृषि कार्य के प्रयोजन एवं कृषि भूमि के विकास के लिये एवं कृषि भूमि के विकास के लिये एवं कृषि भूमि की पिलाई करने के लिये किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नही है। उक्त नजरी नक्शा पेश है जो लाल स्याही से दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य एवं कृषि भूमि के विकास

WA

के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 भूमि से लगती हुयी होने से भूमि का उपयोग करता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 272 के पानी ले जाने के प्रयोजन के लिये सबसे करीब अप्रार्थीगण 1 से 5 की कृषि भूमि खसरा संख्या 251 की भूमि से होकर ले जा सकते है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि में 251 में 3 फीट गहरा खड्डा खोदकर ले जाते है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि 251 की भूमि में 3 फुट गड्ढा खोदकर पाईप लाईन डालकर ले जाते है तो अप्रार्थीगण 1 से 5 को कोई क्षति नही होगी और प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर कृषि भूमि को पिलाई के लिये पानी उपलब्ध हो जायेगा। प्रार्थीगण की भूमि मे से किसी प्रकार का रेकार्ड मोरी नही होने से तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संलग्न कृषि भूमि से इस भूमि में से प्रार्थीगण की कृषि भूमि में 3 फुट गहरा खड्डा खोदकर पाईप लाईन डाल दी जाती है तो इससे किसी भी पक्षकार को क्षति नही होगी और प्रार्थीगण की कृषि भूमि को पानी उपलब्ध हो जायेगा व कृषि भूमि का विकास हो जायेगा।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 13.6.2025 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 8.1.2026 को तहसीलदार अराई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अराई ने अंकित किया कि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के खसरा नं० 272 में भूमिगत पाइपलाइन ले जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। परोकार सरकार के जवाब अनुसार खसरा नं० 251 में से पाइपलाइन हेतु 05 फीट चौड़ा व 598 फीट लम्बा देने से 0.0278 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसकी वर्तमान डी०एल०सी० दर 5,30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। उक्त डी०एल०सी० दर के अनुसार 53 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से रास्ते हेतु 0.0278 हेक्टेयर भूमि का 14,734/- रुपये है। जिसका 10 प्रतिशत राशि 1474/- है। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी पाइप लाइन हेतु प्रयुक्त होने वाली अप्रार्थी की भूमि के रास्ते की राशि डीएलसी दर अनुसार अदा करने में सहमत, तैयार, तत्पर है। हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को पाइप लाइन हेतु आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:-

#### —: आदेश :-

प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के खसरा नं० 272 में भूमिगत पाइपलाइन ले जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। परोकार सरकार के जवाब अनुसार खसरा नं० 251 में से पाइपलाइन हेतु 05 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा व 598 फीट लम्बा देने से 0.0278 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है जिसकी वर्तमान डी०एल०सी० दर 5,30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। उक्त डी०एल०सी० दर के अनुसार 53 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से पाइप लाइन हेतु 0.0278 हेक्टेयर भूमि का 14,734/- रुपये है। जिसका 10 प्रतिशत राशि 1474/- है तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट क्रमांक भू०अ०/2025/491 दिनांक 8.1.2026 के अनुसार पाइप लाइन बिछाने हेतु वाद अधीन भूमि की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 14734/- जिसकी 10प्रतिशत राशि 1474/- जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा की जायेगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अराई को आदेश दिये जातें है कि ग्राम गोठियाना तहसील अराई के खसरा नं० 272 में भूमिगत पाइप लाइन ले जाने के लिए खसरा नं० 247,251 में भूमि में 0.0278 हेक्टेयर भूमि डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्य 14734/- जिसकी 10प्रतिशत राशि 1474/- जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। जिस भूमि में से होकर भूमिगत पाइप लाइन डाली जावेगी वह खातेदार की खातेदारी में बना रहेगा खातेदार उसमें खेती कर सकेगा। खातेदार उस भूमि पर स्थाई निर्माण नही कर सकेगा। तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात आवश्यक कार्यवाही करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

W/P  
नीतू मीना (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
अराई (अजमेर)